न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 38 / 17	23–05–2017	23–04–2018

हाउसिंग डवलपमेंट कोरपोरेशन लिलिटेड (एच0डी0एफ0सी0) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस एच टी पारेख मार्ग, 169 बैकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020, जिसका शाखा कार्यालय एच डी एफ सी लिमिटेड सी–25 भगवन्त दास रोड , सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी स्कीम जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री रनवीर सिंह
   पहला पता :– 10 स्कवैडरन एयरफोर्स मार्फत 3 विंग, एयरफोर्स मार्फत 56 एपीओ पिनकोड 936010
   दूसरा पता :– ई–128 सेक्टर–4, विवेकानन्द नगर उज्जवल एकडेमी के पास अलवर 301001 राजस्थान
   तीसरा पता :– डी–53 बुध बिहार अलवर–301001 राजस्थान
2. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह
   पहला पता :– ई–128 सेक्टर–4 विवेकानन्द नगर, उज्जवल एकडेमी के पास अलवर–301001
   दूसरा पता :– डी–53 बुध विहार अलवर–301001 राजस्थान

अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह की सम्पति जो ई–128, सेक्टर–4 विवेकानन्द नगर, ग्राम अलवर नं0–02 अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। माप : 193.47 वर्ग गज , चतु सीमा :– उत्तर में सडक, दक्षिण में प्लॉट नं0 66, पूर्व में प्लॉट 65, पश्चिम में प्लॉट नं0 63 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया। page 1of 2

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23–04–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

23/04/18

(सजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
page 2of 2